

बिहार सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 03 नवम्बर, 2015

संख्या-1/एल01-10-20/2015 गृ.आ.- 7758 / श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, भा0पु0से0 (2008), पुलिस अधीक्षक, बक्सर को उनकी माँ के गम्भीर बीमारी के कारण दिनांक 04.11.2015 से दो सप्ताह के अवकाश में प्रस्थान करने की अनुमति तथा इनके अनुपस्थिति में श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0 (2003), समादेष्टा, बि0सै0पु0-05, पटना को तत्कालीक प्रभाव से पुलिस अधीक्षक, बक्सर के प्रभार में रहने की स्वीकृति दी जाती है ।

उपर्युक्त में भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-1/एल01-10-20/2015 गृ.आ.- 7758 / पटना, दिनांक - 03 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-1/एल01-10-20/2015 गृ.आ.- 7758 / पटना, दिनांक - 03 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-1/एल01-10-20/2015 गृ.आ.- 7758 / पटना, दिनांक - 03 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ प्रधान सचिव, राज्यपाल, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक, प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, क्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षावाहिनी/विशेष सचिव (प्रभारी प्रशाखा-2), गृह विभाग/आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2 एवं 5, गृह (आरक्षी) विभाग को रक्षित संचिका में संधारण हेतु/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (website : www.home.bih.nic.in) ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि गत्यादेश तुरत निर्गत करने की कृपा की जाय ।

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव